-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 08 मोटर साईकिल बरामद

घटनाओं का विवरणः-

1. दिनांक 09.08.2026 को वादी मुकदमा डा0 संजीव कुमार पुत्र कैलाश चन्द निवासी टाण्डा हसनगढ थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार हाल निवासी रामगढ कालोनी कस्बा व थाना बिहारीगढ सहारनपुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की मोटर साइकिल सुपर स्पलेन्डर रजि0 नं0 UK16B2534 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 13.09.2026 को वादी मुकदमा मुजीब अली पुत्र अकबर अली नि0 नन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP 11CU 1420 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 154/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 13.09.2026 को वादी मुकदमा मिलन गुप्ता पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा की मोटर साइकिल टीवीएस रिडिंम रजि0 नं0 UP 11BN 9036 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 155/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर घटना के अनावरण एवं गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में उक्त चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये आज दिनांक 18.09.2026 को अभियुक्तगण**1.गुलाम वसूम पुत्र हासिम नि0 ग्राम कालूवाला पहाडीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ स0पुर 2. सागर पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम भाकरोड थाना बेहट स0पुर 3. शाकिर पुत्र भूरा नि0 ग्राम चाण्डी भाकरोड थाना बेहट 4.साहिल पुत्र मुस्तकीम नि0 ग्राम माझीपुर थाना बेहट स0पुर** को थाना बिहारीगढ से चोरी गयी मोटर साईकिलें **1.**सुपर स्पलेन्डर रजि0 नं0 UK16B2534 **2.**स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP 11CU 1420 **3.** टीवीएस रिडिंम रजि0 नं0 UP 11BN 9036 तथा थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0 147/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि न0-UP 11 Y 3441 तथा थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 254/26 धार 303(2) बीएनएस मे चोरी गयी मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि0न0- UP 11 CL 6740 तथा थाना बुग्गवाला पर पंजीकृत मु0अ0स0 60/26 धारा 303(2) बीएनएस मे चोरी गयी मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि न0-UK 17 W 2869 तथा दो अन्य थाना क्षेत्रो से चोरी गयी मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस के साथ बिहारीगढ़ से आगे अमानतगढ की ओर सड़क के किनारे हाईवे की खण्डहर पड़ी बिल्डिंग से मोटर साइकिल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित चोरी के अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। **गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 159/26 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।** गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी एक-दूसरे को काफी समय से जानते है हमने से सागर मोटरसाईकिल मिस्त्री है। सागर की ग्राम चाण्डी भांकरोड मे मोटरसाईकिल मिस्त्री की दुकान है। हम चारो लोग मिलकर मौका देखकर आस-पास के थाना क्षेत्रो से मोटर साइकिलें चोरी कर लेते है सागर मो0सा0 मिस्त्री होने के कारण मो0 साइकिलो को अनजान लोगो को बेच देता है, बेचनें से पहले नम्बर प्लेट को खोल देते हैं और मो0सा0 को बेचकर जो रूपये मिलते है उनको हम

चारो लोग आपस मे बराबर बराबर बाँट लेते है और मौज मस्ती करते है। करीब 5-6 महीने पहले हम चारो लोगो ने मिलकर थाना बेहट क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर कला से तथा 01 मो0सा0 करीब 02 माह पहले थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम शाहपुर गाढा से तथा 01 मो0सा0 करीब डेढ माह पहले बिहारीगढ कस्बे के बुग्गावाला रोड से एक डाँक्टर की दुकान के आगे से तथा एक मो0सा0 7-8 दिन पहले सुन्दरपुर तिराहे से तथा 01 मो0सा0 6-7 दिन पहले कस्बा बिहारीगढ मे रविदास मंदिर के सामने से तथा 01 मो0सा0 4-5 दिन पहले ग्राम बंदरजूड के जंगल से चोरी की थी तथा 02 मो0सा0 स्पेलम्डर प्लस हम चारो लोगो ने मिलकर काफी समय पहले चोरी की थी जिनका समय एंव स्थान अब हमे याद नही है। उक्त चोरी की गई आठों मो0साईकिलो मे से 06 मो0 साईकिलों को हम लोगो ने बिहारीगढ से आगे अमानतगढ की ओर सडक के किनारे हाईवे की खंण्डर पडी बिल्डिंग मे छिपाकर रख दिया गया था तथा अन्य दो मो0सा0 को आज पुनः वही पर छिपाकर खडी करने के लिये जा रहे थे कि हमे पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता –

1. *गुलाम वसूम पुत्र हासिम नि0 ग्राम कालूवाला पहाडीपुर उर्फ जहानपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
2. *सागर पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम भाकरोड थाना बेहट सहारनपुर।*
3. *शाकिर पुत्र भूरा नि0 ग्राम चाण्डी भाकरोड थाना सहारनपुर।*
4. *साहिल पुत्र मुस्तकीम नि0 ग्राम माझीपुर थाना बेहट सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरण –

- *01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर रजि0 नं0 UK16B2534*
- *01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP 11CU 1420*
- *01 मोटर साइकिल टीवीएस रिडिंम रजि0 नं0 UP 11BN 9036*
- *01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि न0-UP 11 Y 3441*
- *01 मोटर साइकिल मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रजि0न0- UP 11 CL 6740*
- *01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि न0-UK 17 W 2869*
- *01 मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस चेसिस नं0- MBLHAW09XKHA00953 इंजन नं0-HA10AGKHA07931*
- *01 मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस चेसिस नं०-MBLHAW118LHJ10469 इंजन नं0- HA11EVLHJ11729*

अभियुक्त गुलाम का अपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 154/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
3. *मु0अ0स0 155/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
4. *मु0अ0स0 159/26 धारा 317(5) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
5. *मु0अ0स0 147/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बेहट सहारनपुर।*
6. *मु0अ0स0 254/26 धार 303(2) बीएनएस चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर।*
7. *मु0अ0स0 60/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार।*
8. *मु0अ0स0 28/24 धारा 63 आब0 अधि0 चालानी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।*

अभियुक्त सागर का अपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 154/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
3. *मु0अ0स0 155/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*
4. *मु0अ0स0 159/26 धारा 317(5) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।*

5. मु0अ0स0 147/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बेहट सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 254/26 धार 303(2) बीएनएस चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 60/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार
8. मु0अ0स0 113/26 धारा 115(2)/117(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर।

अभियुक्त शाकिर का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 154/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 155/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 159/26 धारा 317(5) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 147/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बेहट सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 254/26 धार 303(2) बीएनएस चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 60/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार
8. मु0अ0स0 412/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना बेहट सहारनपुर।

अभियुक्त साहिल का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 154/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 155/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 159/26 धारा 317(5) बीएनएस चालानी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 147/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बेहट सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 254/26 धार 303(2) बीएनएस चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 60/26 धारा 303(2) बीएनएस चालानी थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार।
8. मु0अ0स0 113/26 धारा 115(2)/117(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिह थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
3. उ0नि0 हवन सिंह चीमा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
4. उ0नि0 संजीव कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
5. है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
6. का0 1873 विक्रान्त थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
7. का0 2275 रूपेश कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
8. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
9. का0 549 रवेन्द्र थाना बिहारीगढ सहारनपुर।
10. का0 551 यशपाल थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

दिनांक- 18.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही पर मृतका का फोन (टूटी अवस्था) व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 17.09.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोहित पुत्र घसीटू निवासी ग्राम सैनपुर उर्फ शहजादपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 677/2026 धारा 140(1),103(1), 238 (बी) बीएनएस के पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में श्रीमती ओमवती पत्नि घसीटू निवासी ग्राम सैनपुर उर्फ शहजादपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आकर धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि हुई।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री सन्दीप बालियान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18/09/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***1.मोहित पुत्र घसीटू निवासी ग्राम सैनपुर उर्फ शहजादपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को अतर सिंह फार्म हाउस के पास से व 2.श्रीमती ओमवती पत्नि घसीटू निवासी ग्राम सैनपुर उर्फ शहजादपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त मोहित उपरोक्त की निशांदेही पर मृतका का मोबाइल फोन वीवो टूटी अवस्था में व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्पलेन्डर नं0- UP 11 DB 3290 बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित द्वारा बताया गया कि मेरा और मेरी पडौस की रहने वाली मृतका का विगत वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था अब मैं अपने भाई की साली से शादी करना चाह रहा था और सम्बन्ध उजागर होने पर हुई बदनामी के कारण मृतका से पीछा छुडाना चाह रहा था। दिनांक 15.09.2026 को मैने मृतका को अपनी छत पर बुलाया और उसका फोन लेकर स्वीच आफ कर उसका गला दबाकर हत्या कर दी उसके बाद अपनी माँ को जगाकर बताया और हमने एक राय होकर मृतका के शव को अपनी माँ की सहायता से अपने भाई की मोटर साइकिल पर बीच में बैठी अवस्था में रखकर कपडे से ढककर शव को छुपाने व बहकर नष्ट हो जाने की नियत से साखन नहर में डाल दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1- मोहित पुत्र घसीटू निवासी ग्राम सैनपुर उर्फ शहजादपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

2- ओमवती पत्नी घसीटू निवासी ग्राम सैनपुर उर्फ शहजादपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- *मृतका का मोबाइल फोन वीवो टूटी अवस्था में*
- *01 मोटर साइकिल स्पलेन्डर नं0- UP 11 DB 3290 (घटना में प्रयुक्त)*

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप बालियान थाना देवबन्द सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 देवेन्द्र भाटी थाना देवबन्द सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 दीपक मावी थाना देवबन्द सहारनपुर।*
4. *म0उ0नि0 रश्मि थाना देवबन्द सहारनपुर।*
5. *का0 663 अमित थाना देवबन्द सहारनपुर।*
6. *का0 666 नितिन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
7. *का0 185 हर्ष कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*
8. *म0का0 744 पारूल थाना देवबन्द सहारनपुर।*
9. *म0का0 747 दीपा थाना देवबन्द सहारनपुर।*
10. *का0 695 सन्दीप कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।*

दिनांक 18.09.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना नानौता पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 275 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रूपये) बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक/नशीले पदार्थो की बिक्री की रोकथाम के लिए तथा इसमे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तार हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.09.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नशा तस्कर **सादिक उर्फ बाबा पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड सहारनपुर** काशीपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 275 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0- 236/26 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सादिक उर्फ बाबा पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *275 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये)*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0स0 74/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर।*
2. *मु0अ0स0 214/25 धारा 109(1),115(2), 351(3) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर।*

3. *मु0अ0स0 260/25 धारा 109, 190, 191(2), 191(3), 351(2), 352, 61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।*
4. *मु0अ0स0 65/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना तीतरो सहारनपुर।*
5. *मु0अ0स0 236/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री उपेन्द्र राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
3. *म0उ0नि0 राधा चौहान थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
4. *है0कां0 106 विक्रान्त मान थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
5. *है0कां0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
6. *है0कां0 839 कपिल राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन व 02 मोबाइल के पार्ट्स बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.09.2026 को वादी अखिल सचदेवा पुत्र विजय सचदेवा निवासी केशव नगर नुमाइश कैम्प थाना को0नगर जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत शोएब पुत्र इंतजार निवासी भूरे वाली मस्जिद के पास खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर के द्वारा वादी की दुकान से मोबाइल एवं अन्य मोबाइल के मदरबोर्ड चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 232/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी प्रदीप कुमार चीमा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 18.09.2026 को अभियुक्त ***शोएब पुत्र इंतजार निवासी भूरे वाली मस्जिद के पास खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर*** *को ट्रांसपोर्ट नगर से सडक दूधली में जाने वाले रास्ते के मोड के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल मय एडॉप्टर व दो मोबाइल के पार्टस बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शोएब पुत्र इंतजार निवासी भूरे वाली मस्जिद के पास खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- *01 मोबाइल फोन (सैमसंग A5 17G सील्ड पैक मय एडॉप्टर)*
- *02 मोबाइल के पार्ट्स (A15 व A12 के आधे-आधे भाग*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. *उ0नि0 श्री विनय कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।*
2. *कां0 1804 प्रमोद कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।*
3. *कां0 1766 मोहन, थाना जनकपुरी सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी पीडित की 98,998/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2026 को वादी श्री करण सिह राणा पुत्र श्री रोहताश सिंह निवासी कौशिक विहार कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के द्वारा अवगत कराया कि अज्ञात साइबर ठग द्वारा वादी के मोबाईल में APK फाइल डाउनलोड कराकर 98,998/- रूपये की धनराशि की ठगी कर ली गयी है। जिसके बाद थाना सरसावा साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर क्राइम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर वादी की शिकायत संख्या 33106260126272 दर्ज करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्राड में गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व मे थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा उक्त शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी करण सिह राणा की ठगी गयी कुल 98,998/- रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि IDBI बैंक मे होल्ड करायी गयी थी । प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 18/09/2026 को थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के कुल 98,998/- रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी है । पीडित द्वारा थाना सरसावा साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है ।

साइबर हेल्प डेस्क टीमः-

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
2. *म0उ0नि0 अन्नू परिहार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
3. *है0का0 287 सुधीर कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
4. *म0का0 871 रश्मि थाना सरसावा जनपद सहरनपुर ।*
5. *का0 2377 ब्रिजेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
6. *रि0का0 2535 अमित थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
7. *रि0का0 2585 शुभम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*
8. *रि0का0 2597 रोहित थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 18-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा डायल-112 पर लूट की झूठी व भ्रामक सूचना देने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व अपराधों की रोकथाम व तलाश वाँछित वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत डायल 112 पर लूट की झूठी व भ्रामक सूचना देने वाले 03 अभियुक्तगण **1.रवि पुत्र पूरणपाल निवासी मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारपुर 2. प्रवीण पुत्र कुशलपाल नि0 झीवरहेडी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 3. अभिपाल पुत्र अनिल निवासी ग्राम मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर 4. राजकुमार पुत्र मुलकराम नि0 मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 395/26 धारा 194(2)/217 बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण **रवि, प्रवीण, राजकुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस** मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि जब हम अपनी कार उपरोक्त से लखनौर के पास दूसरी कार को ओवर टेक कर रहे थे तो ओवर टैक करते समय उस कार मे हमारी कार की साईड लग गयी थी जो हमारा पीछा करते हुए यहां तक आये ओर अपनी कार का खर्चा मांगने लगे इसी बात को लेकर मारपीट हो गयी थी हमारे साथ मे कोई लूट नही हुई रवि उपरोक्त ने बताया कि मैने चाचा राजकुमार को उक्त घटना के बारे मे बताया कि मेरे साथ कोई लूट नही हुई है और करीब मेरे पास 34000 हजार रूपये तुम अपने पास रख लो और हम सभी ने मिलकर अज्ञात कार वालो को झूठे मुकदमे मे फंसाने के लिए करीब 10 लाख रूपये लूट की झूठी सूचना पुलिस को दे दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. रवि पुत्र पूरणपाल निवासी मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारपुर ।
2. प्रवीण पुत्र कुशलपाल नि0 झीवरहेडी थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
3. राजकुमार पुत्र मुलकराम नि0 मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री शेषपाल सिह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
3. का0 817 अरूण कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।
4. रि0का0 789 रामवीर सिह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

दिनांक:18.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 13 घण्टे में निर्माणाधीन मकान मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही पर चोरी गये ए.सी के कॉपर के पाइप, बिजली के तार, सरिया व लोहे का सामान बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 17.09.2026 को वादी ऋषिसिहं एडवोकेट पुत्र श्री हुकमसिंह नि0 4 - पन्तनगर निकट कुलतार सिंह नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के निर्माणाधीन मकान से ए.सी. के कॉपर के पाइप, बिजली के तार, सरिया व लोहे का सामान चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 468/2026 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/वाहन चोरी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए निर्माणाधीन मकान मे चोरी की घटना का मात्र 13 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए ***02 चोर/अभियुक्तगण 1. नितिन कुमार पुत्र राजू नि0 मल्हीपुर रोड म0न0 79 फ्रेन्डस कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. अक्षय पुत्र मांगेराम नि0 मल्हीपुर रोड म0न0 25 सपना विहार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर*** *को विनोद विहार मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के* ***कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया ए.सी. के कॉपर के पाईप, बिजली के तार, सरिया व लोहे का सामान*** *बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः–

1. नितिन कुमार पुत्र राजू नि0 मल्हीपुर रोड म0न0 79 फ्रेन्डस कालोनी थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
2. अक्षय पुत्र मांगेराम नि0 मल्हीपुर रोड म0न0 25 सपना विहार थाना को0 देहात, सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- ए.सी. के कॉपर के पाइप
- बिजली के तार

➢ *सरिया व लोहे का सामान*

अभि0 नितिन का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 14/24 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 255/22 धारा 414/465 भादवि थाना को0देहात जिला सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 256/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना को0देहात जिला सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0 744/22 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।*
5. *मु0अ0सं0 713/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।*
6. *मु0अ0सं0 722/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।*

अभि0 अक्षय का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 31/21 धारा 379/511 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री विपिन शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
3. *उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 11 सुनील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*
5. *का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 18-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा जय एग्रो बायो साईन्स प्रा0लि0 कम्पनी के माध्यम से किसानो के साथ जैविक खाद प्लाट लगाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले 04 अभियुक्तो की धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क सम्पत्ति में से 16 लाख रूपये पीडितो को वापस करायी गयी

कार्यवाही का विवरणः-

☐ *थाना नानौता पुलिस द्वारा अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति **01 कार महेन्द्रा XUV700, 01 कार हुंडई VANUE व 16 लाख रूपये नगद को अन्तर्गत धारा 107 बीएनएसएस के तहत जब्त कराया गया था जिसमे थाना नानौता पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए** उक्त 16 लाख रुपयो को अभियोग के पीडितो के सुपुर्द करायी गयी।*

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति को जब्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा जय एग्रो बायो साईन्स कम्पनी के नाम से जैविद खाद प्लाट लगाने को लेकर लोगो से धोखाधडी करने वाले 04 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 0073/25 धारा 61(2)/ 318(4)/316(2)/351(2)/352 बीएनएस व मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338/340(2)/ 336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस पंजीकृत हुए थे। जिनमें अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उक्त अभियुक्तों द्वारा धोखाधडी कर अपराध से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 107 बीएनएसएस की जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय मे रिपोर्ट प्रेषित करते हुए विवेचक व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह द्वारा सशक्त पैरवी की गयी जिस पर माननीय न्यायालय अपर सविल जज (जू0डि0)/जे0एम, देवबन्द सहारनपुर ने अभियुक्तगण द्वारा अवैध रुप से अर्जित चल सम्पत्ति/नगदी(मु0अ0सं0 73/25 में कुल एक कार हुंडई VANUE व 10 लाख रूपये नगद व मु0अ0सं0 182/25 में एक कार महेन्द्रा XUV 700 व 6 लाख रूपये नगद) जिसकी कुल कीमत लगभग ₹42,00,000/- (बयालिस लाख रुपये) है, को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क की गयी थी। थाना नानौता पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरुप **जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर महोदय के आदेश के अनुक्रम मे तहसीलदार श्री प्रियांक सिंह तहसील रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नानौता के मालग्रह से धारा 107 बीएनएसएस के अन्तर्गत कुर्क सम्पत्ति मे से मु0अ0स 0073/25 धारा 61(2)/318(4)/316(2) /351(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित वादी मुकदमा/पीडित को 10 लाख रूपये व मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4) /316(2) /338 /340(2)/336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस से सम्बन्धित पीडित/वादी मुकदमा को 06 लाख रूपये सुपुर्द किये गये।** धोखाधडी की रकम पीडितो को वापस कराये जाने पर जनता द्वारा पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।*

पीडितो का विवरणः-

1. *अमित कुमार पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम भोजपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
2. *गुरजीत सिह पुत्र तेजपाल निवासी शिवपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।*

वापस करायी गयी सम्पत्ति का विवरण–

- ➢ *कुल 16 लाख रुपये नगद (अभियोग से सम्बन्धित)*

पुलिस टीम का विवरणः-

1. *तहसीलदार श्री प्रियांक सिह तहसील रामपुर मनिहार जनपद सहारनपुर।*
2. *थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
3. *व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 118 विपुल कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 18-09-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 1,18,800/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

आवेदक नीरज गोयल पुत्र हंस कुमार गोयल निवासी उत्तम विहार कलोनी, गली नं0 5, बेहट रोड कोतवाली नगर, सहारनपुर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके अनुसार अज्ञात महिला द्वारा वादी से दोस्ती कर ऑनलाइन पैसे निवेश कर पैसे कमाने का झांसा देकर वादी से अपने खातों में रु0 9,44,900/- डलवा लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 50/2025 अन्तर्गत 318(4), 319(2) बीएनएस, 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए **आवेदक श्री नीरज गोयल उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि में से रु0 1,18,800/- की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस का आभार प्रकट किया गया।**

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
2. विवेचक/निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
3. है0कां0 907 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
4. है0कां0 712 निशान्त, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
5. म0है0कां0 189 रूचि शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

अवगत कराना है कि मेरठ जोन की 29वीं अन्तर जनपदीय पुलिस एथलेटिक्स कलस्टर (एथलेटिक्स व साइकिलिंग) प्रतियोगिता–2026 के आज दिनांक 18.09.2026 को समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अभिषेक सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा टीमों का मान प्रणाम स्वीकार करते हुए पदक विजेताओ को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा इस अवसर पर श्री अभिनन्दन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री व्योम बिन्दल, पुलिस अधीक्षक नगर, श्री मयंक पाठक, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक यातायात/लाइन्स, श्री मनोज कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाइन्स, सुश्री सारिका चौधरी, सहायक पुलिस अधीक्षक, श्री बीरेन्द्र बहादुर, प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स व साइकिलिंग निर्णायक गण द्वारा अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। प्रतियोगिता का संचालन उदघोषक श्री गगनदीप, सहारनपुर द्वारा किया गया।

प्रतियोगिता के परिणाम निम्नवत् रहेः–

चल–वैजयन्ती विजेता

1– चल वैजयन्ती एथलेटिक्स – विजेता टीम पुरूष वर्ग – मेरठ।

2– चल वैजयन्ती एथलेटिक्स – विजेता टीम महिला वर्ग – गाजियाबाद।

3– चल वैजयन्ती साइकिलिंग – विजेता टीम पुरूष वर्ग – गौतमबुद्धनगर।

4– चल वैजयन्ती साइकिलिंग – विजेता टीम महिला वर्ग – मेरठ।